न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
बईजलास श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस.

(1) नम्बर मुकदमा निग. पंचायत 31/2013

2013/00023

अनवान :–

भंवरलाल पुत्र लिखमाराम जाति ब्राहम्मण निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निगरानीकार

बनाम

1– श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी रेखाराम जाति ब्राहम्मण निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

2– ग्राम पंचायत बिग्गा, जरिये सरपंच तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

3– पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ जरिये प्रधान पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

गैरनिगरानीकार

::निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994::

उपस्थिति :–

1– श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक प्रार्थीपक्ष
2– श्री जयचन्द्र सारस्वत – अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
3– अप्रार्थी संख्या 2 व 3 – इकतरफा

आदेश दिनांक 08.03.2018

1. निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ की प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति, की बैठक दिनाक 24.02.2012 को प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायत बिग्गा की मिसल नम्बर 20 दिनांक 05.10.2004 श्री भंवरलाल पुत्र लिखमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बिग्गा के पक्ष में जारी आबादी भूमि के दौहरे पट्टे को अवैधानिक मानते हुवे खारिज कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । निगरानी प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया व पंचायत समिति से मूल रिकार्ड मंगवाया गया ।

2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री जयचन्द सारस्वत अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं लिखित बहस एवं दस्तावेज पेश किये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई।

3. तद्नतर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी(निगरानीकार) के हक में ग्राम पंचायत बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ द्वारा आबादी भूमि का पट्टा विकय विलेख मिसल नम्बर 09 दिनांक 05.10.2004 को बनाया गया। जिसका नवीनीकरण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 06.11.2006 को किया गया एवं पट्टे की पुष्टि की गई। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक, कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ के यहां दिनांक 13.11.2006 को किया गया। इस पट्टेशुदा आबादी भूमि पर प्रार्थी

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

निगरानीकर्ता के नाम से जो पट्टा बना हुआ है उसमें वह अपने परिवार सहित निवास कर रहा है तथा मकान में पानी, बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है तथा इसी मकान में उसके परिवार का राशन कार्ड बना हुआ है। निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को अदालत मातहत के द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अदालत मातहत ने कानून की अवहेलना कर निगरानीधीन आदेश दिनांक 24.02.2012 कर दिया। अपील सुनने के जो अधिकार पंचायत समिति को प्रदान किये हुए है उनकी पालना न करके एक प्रशासनिक आदेश पारित किया है, जो कानूनन पारित ही नहीं किया जा सकता । पंचायत समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत होती है तो वह अपील के रूप में अलग दर्ज होती तथा संबंधित पक्षकारों को तलब किया जाता है एवं जिस आदेश की अपील की जाती है उक्त पत्रावली को तलब किया जाकर संबंधित पक्षकारों को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाता है । इन सब तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर नहीं किया क्योंकि उसके नाम का पट्टा इसी शर्त पर बनाया गया था कि वह मौके पर अपने परिवार सहित आबाद होकर निवास कर रहा है। उनका यह भी निवेदन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट के पट्टे को खारिज करने का कारण केवल यह दिया है कि पट्टा संख्या 6/8 दिनांक 21.02.1964 को पहले से बना हुआ है, जबकि खुली भूमि का पट्टा बनाने का पंचायत को कोई अधिकार ही नहीं था व न ही है। इसलिए अपीलान्ट के आबाद मकान का पट्टा पहले से बना हुआ है यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट का मौके पर जहां उसका पट्टा बना हआ है, वहां बना हुआ है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मकान इस स्थान पर न होकर अन्यत्र होने से अपीलान्ट के विधि सम्मत बने हुए पट्टे को अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये उसे निरस्त किया जाना तथा उस आदेश को कायम रखा जाना न्यायौचित नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश जिसके तहत अपीलान्ट का पट्टा खारिज किया गया है, को पुनः बहाल किया जावे। इसी अनुसार निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

5. गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। निगरानीकार संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि अप्रार्थीया ने जरिये बैयनामा दिनांक 29.10.1990 को धरमाराम पुत्र सुरजाराम जाति सुनार से खरीद की थी। धरमाराम ने पूर्व के पट्टा धारक बद्रीनारायण पुत्र लेखराम जाति ब्राहम्मण निवासी श्रीडूंगरगढ़ से जरिये बैयनामा दिनांक 23.08.77 को खरीदी थी। बद्रीनारायण पुत्र लेखराम का पट्टा ग्राम पंचायत बिग्गा ने दिनांक 01.06.1968 को जारी किया है। विवादित पट्टा की भूमि के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 1 की जायदाद एवं उत्तर में लिखमाराम की जायदाद के मध्य 25 गज का रास्ता है, जो मूल पट्टा धारक बद्रीनारायण पुत्र लेखराम के नाम जारी पट्टा दिनांक 01.06.1968 में दर्ज है, जबकि विवादित पट्टा 26 दरगज का बनाया है, जिसमें 1 दरगज भूमि अप्रार्थी संख्या 1 परमेश्वरी की खरीद शुदा भूमि को भी शामिल कर दिया है। प्रार्थी भंवरलाल के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 5.12.2004 ग्राम पंचायत बिग्गा द्वारा रास्ता आम व सफेद भूमि का जारी किया है तथा पट्टा विलेख दिनांक 05.12.04 ग्राम पंचायत बिग्गा द्वारा जानबूझकर आसा–पासा गलत दर्ज किये है क्योंकि 26 गज का

अति॰ जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

पट्टा जारी होने के पश्चात दक्षिण की तरफ गली बचती ही नहीं है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 परमेश्वरी का मकान 1 वर्गगज सहित उक्त आसा–पासा में आता है। इसी प्रकार संकल्प संख्या 3 दिनांक 5.12.2004 की मिसल बाबत कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत बिग्गा में दर्शित नहीं किया है ना ही मिसल पेश करने, पंचों की कमेटी नियुक्ति करने की तारीख अंकित की है। धारा 146(2) के अनुसार 3 सदस्य होने चाहिए। निरीक्षण रिपोर्ट केवल एक पंच के हस्ताक्षर नहीं है। अन्य पंचों की राय ली जानी अंकित नहीं है। पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 157 के विपरीत होने से स्वतः शून्य एवं विधि विरूद्ध है। दिनांक 05.12.2004 को ग्राम पंचायत बिग्गा द्वारा आम रास्ता व सफेद भूमि का जारी किया गया पट्टा पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 146 के विपरीत अवैध एवं शून्य है। अतः प्रधान पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ. द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2012 विधि सम्मत है, जिसे बहाल रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया व पंचायत समिति से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया । पट्टा संख्या 09 मिसल संख्या 20 दिनांक 5.10.2004 पूर्व सरपंच श्रीमती रतना देवी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के तहत जारी किया गया पट्टा वैधानिक प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उक्त भूमि 1964 के पट्टे में सफेद भूमि छोड़ी हुई थी। जिस पर श्री भंवरलाल द्वारा पट्टा बना लिया है, जो श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी रेखाराम के मकान के आगे के रास्ते का अवरूद्ध करता है। पत्रावली में उप प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों गणों द्वारा दिनांक 15.02.2012 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि श्री लिखमाराम पुत्र जैसाराम ब्राह्म्मण के दक्षिण की ओर जो आम रास्ता 24 फीट का छोड़ा हुआ था वह 26 फीट खाली जगह थी, जिस पर सरपंच द्वारा श्री भंवरलाल पुत्र लिखमाराम के नाम से गलत पट्टा बनाया हुआ है, को निरस्त करने की अभिशंषा आम राय से की गई है। इस आधार पर दिनांक 5.12.2004 को ग्राम पंचायत बिग्गा द्वारा आम रास्ता व सफेद भूमि का जारी किया गया पट्टा पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 146 के विपरीत होने व अवैध एवं शून्य होने के कारण खारिज योग्य है। अतः प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति श्रीडूंगरगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2012 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम न्यायौचित नहीं पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में पट्टा संख्या 9 मिसल नं 20 दिनांक 5.12.2004 को जारी किया गया पट्टा शून्य व विधि विरूद्ध घोषित करते हुवे प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा प्रधान पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2012 बहाल रखा जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशवन्त भाकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner